<u>न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा</u>

पीठासीन अधिकारी : रामस्वरूप चौहान, आर.ए.एस.

<u>प्रकरण संख्या 39/2024, प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण</u>

1. तेजसिंह पुत्र बहादुरसिंह जाति राजपूत निवासी पीचूपाडा खुर्द तहसील बांदीकुई जिला दौसा।

प्रार्थी

<u>बनाम</u>

1. श्री रामसिंह राजावत उप जिला कलक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट बांदीकुई जिला दौसा।
2. मगनसिंह पुत्र प्रभात्या
3. रामसिंह पुत्र प्रभात्या
4. मनमोहन पुत्र बहादुरसिंह
5. गौरा देवी पत्नि बिरद्या
6. नानगी देवी पत्नि मोठ्याराम

   समस्त जाति माली निवासी कांच की ढाणी पामाडी, बडवाली कोठी तहसील बांदीकुई जिला दौसा।

अप्रार्थीगण

<u>प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण किये जाने पत्रावली संख्या 131/2024 दावा तकास्मा एवं स्थाई निषेधाज्ञा उनवानी तेजसिंह बनाम मगनसिंह वगैरा</u>

उपस्थिति : श्री श्याम सुन्दर शर्मा अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित।

: श्री अमरसिंह गुर्जर अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 2 उपस्थित।

:- निर्णय :- दिनांकः- 27.03.2025

संक्षिप्त में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 5 के विरूद्ध उपजिला कलक्टर बांदीकुई में एक दावा एवं प्रार्थना पत्र पेश किया। जिसमे अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 5 ने प्रार्थी को एलानियां धमकी दी है कि हमने अप्रार्थी संख्या 1 से सांठ गांठ कर ली है और हम हमारे पक्ष में उक्त प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा को खारिज कराकर रहेंगे एवं तुमने जो उक्त प्रकरण में अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा भूमि मुतदाविया पर दिनांक 26.09.2024 को प्राप्त कर रखी है उसे खारिज करवा कर रहेंगे। इसलिये प्रार्थी को यह प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण न्यायालय में पेश करना आवश्यक हुआ है।

प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण पेश होने पर दर्ज [illegible] कर तलबी अप्रार्थीगण की गई। अप्रार्थीगण संख्या 2 की ओर से अधिवक्ता श्री अमरसिंह [illegible] उप[illegible] आये। उप जिला कलक्टर बांदीकुई से प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण के सम्बन्ध में तथ्यात्मक [illegible] प्राप्त की जाकर अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official
Signature Not Verified
Digitally signed by Ramswaroop Chauhan
Date: 2025.06.30 10:26:22 IST
Reason: SelfAttested

अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि प्रार्थी ने अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 5 के विरूद्ध दावा एवं प्रार्थना पत्र उप जिला कलक्टर बांदीकुई में पेश कर रखा है। अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 5 द्वारा प्रार्थी को ऐलानियां धमकी दी जा रही है कि हमने अप्रार्थी संख्या 1 उप जिला कलक्टर बांदीकुई से सांठ गांठ कर रखी है और हम उप जिला कलक्टर बांदीकुई द्वारा प्रकरण में भूमि मुतदाविया पर दिनांक 26.09.2024 को दी गई अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को खारिज कराकर रहेंगे। अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 5 बाहुबली लोग है जो कि उप जिला कलक्टर बांदीकुई से सांठ–गांठ कर उक्त प्रार्थना पत्र को अपने पक्ष में करवाने पर आमादा है। प्रार्थी ने अप्रार्थीगण में से कुछ व्यक्तियों को उप जिला कलक्टर बांदीकुई के चैम्बर में बैठा देख लिया जब अप्रार्थीगण उप जिला कलक्टर बांदीकुई के चैम्बर में से बाहर आये तब उन्होने प्रार्थी से कहा कि हमने उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई से सांठ–गांठ कर ली है एवं तुम्हारा प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 4.12.2024 को खारिज करवा देंगे। ऐसे में प्रार्थी को पूर्ण विश्वास हो गया है कि उप जिला कलक्टर बांदीकुई भी उक्त प्रकरण का निर्णय अप्रार्थीगण के पक्ष में ही करेंगे। प्रार्थी को उप जिला कलक्टर बांदीकुई से न्याय की उम्मीद नहीं रही है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी को यह प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण न्यायालय में पेश करना आवश्यक हो गया। अतः प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण स्वीकर फरमाकर उप जिला कलक्टर बांदीकुई में विचाराधीन मुकदमा संख्या 131/2024 प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा को अन्यत्र स्थानान्तरण किये जाने के आदेश फरमावे।

अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा बहस के दौरान निवेदन किया गया कि न्यायालय उप जिला कलक्टर बांदीकुई में दावा तकास्मा एवं प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा उनवानी तेजसिंह बनाम मगनसिंह वगैरा पेश होने पर प्रतिवादीगण की तलवी की जाकर सुनवाई हेतु तारीखे 18.10.2024, 14.11.2024, 28.11.2024 एवं 4.12.2024, 6.12.2024 एवं 3.1.2025 दी गई थी। उक्त अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र में उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई द्वारा 26.09.2024 को अधिवक्ता प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी जाकर अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखने के आदेश प्रदान किये गये है। अप्रार्थीगण को सुनवाई का अवसर दिये बिना ही एक पक्षीय बहस सुनी जाकर अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा का आदेश पारित किया गया है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण में पीठासीन अधिकारी उप जिला कलक्टर बांदीकुई पर अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज किये जाने के सम्बन्ध में अप्रार्थीगण से सांठ–गांठ किये जाने के मनगढन्त झूंठे आरोप लगाये जाकर प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण पेश किया गया है। जबकि प्रार्थी के पक्ष में अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आज भी प्रचलित है। प्रार्थी द्वारा लगाये गये आरोपों के सम्बन्ध में कोई साक्ष्य सबूत भी पेश नहीं किया गया है। पीठासीन अधिकारी द्वारा नियमित सुनवाई की गई है। प्रार्थी द्वारा प्रकरण के निस्तारण में विलम्ब किये जाने एवं अप्रार्थीगण को हैरान परेशान करने की नियत से यह प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण पेश किया गया है। अतः प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण निरस्त फरमावे।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramswaroop Chauhan
Date: 2025.06.30 10:26:22 IST
Reason: SelfAttested

उप जिला कलक्टर बांदीकुई से प्राप्त तथ्यात्मक रिपोर्ट में अंकितानुसार दिनांक 26.09.2024 को न्यायालय हाजा में दावा तकास्मा एवं स्थाई निषेधाज्ञा एवं प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा उनवानी तेजसिंह बनाम मगनसिंह वगैरा बाबत् भूमि खाता संख्या नया 33 पुराना 35 खसरा नम्बर 1331/691 रकबा 0.91 है. कुल किता 1 कुल रकबा 0.91 है. वाके ग्राम पीचूपाडा खुर्द तहसील बांदीकुई जिला दौसा का प्रस्तुत होने पर बाद दर्ज रजिस्टर कर तलवी जरिये सम्मन नोटिस प्रतिवादीगण की जाकर नियमित रूप से सुनवाई की जाकर आगामी तारीख पेशी 18.10.2024, 14.11.2024, 28.11.2024 एवं 4.12.2024, 6.12.2024 एवं 3.1.2025 दी गई थी। उक्त अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र में दिनांक 26.09.2024 को वकील प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी जाकर उपरोक्त भूमि खाता संख्या नया 33 पुराना 35 खसरा नम्बर 1331/691 रकबा 0.91 है. कुल किता 1 कुल रकबा 0.91 है. वाके ग्राम पीचूपाडा खुर्द तहसील बांदीकुई जिला दौसा में अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाकर मौके की यथास्थिति बनाये रखने के आदेश प्रदान किये गये है, जो आदिनांक तक जारी है। मुंतकिल प्रार्थना पत्र के बिन्दु संख्या 1 लगायत 3 मनगढन्त असत्य एवं बिल्कुल निराधार होना व्यक्त करते हुये उक्त पत्रावली को अन्यत्र कही स्थानान्तरित किये जाने में कोई आपत्ति नहीं होना अंकित किया है।

उपस्थित अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया व पत्रावली एवं उप जिला कलक्टर बांदीकुई से प्राप्त तथ्यात्मक रिपोर्ट का अवलोकन किया गया, जिससे यह स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा एक पक्षीय बहस के आधार पर उप जिला कलक्टर बांदीकुई में विचाराधीन दावा तकास्मा एवं स्थाई निषेधाज्ञा एवं प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा उनवानी तेजसिंह बनाम मगनसिंह वगैरा में अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त कर रखी है। पीठासीन अधिकारी द्वारा अप्रार्थीगण को सुनवाई हेतु नोटिस जारी कर तलब किया जाना अंकित किया गया है, इसी दौरान प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण इस न्यायालय में पेश किया गया है। प्रार्थी द्वारा पीठासीन अधिकारी उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई पर कोई आरोप नहीं लगाया गया है बल्कि प्रार्थी द्वारा पीठासीन अधिकारी से सांठ–गांठ करने एवं उक्त अस्थाई निषेधाज्ञा को खारिज करवाने का आरोप अप्रार्थीगण पर लगाया गया है। जिसके सम्बन्ध में कोई औचित्यपूर्ण तथ्य पेश नहीं किये गये है ना ही कोई साक्ष्य सबूत पेश किया गया है। जिससे प्रतीत होता है कि प्रस्तुत प्रार्थना पत्र केवल मात्र प्रकरण में निस्तारण में विलम्ब किये जाने के उद् देश्य से प्रस्तुत किया गया है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण सारहीन होने से खारिज किया जाता है। उप जिला कलक्टर बांदीकुई को निर्णय की प्रमाणित प्रति भिजवाई जावे। प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण फैसल शुमार किया जाकर नम्बर से कम हो एवं पत्रावली बाद पूर्ति प्रविष्ठ अभिलेखागार की जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramswaroop Chauhan
Date: 2025.06.30 10:26:22 IST
Reason: SelfAttested

(रामस्वरूप चौहान)
अति0 जिला कलक्टर ,दौसा

निर्णय आज दिनांक 27.03.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय की मुद्रा से खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रामस्वरूप चौहान)
अति0 जिला कलक्टर ,दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official